प्रेस नोट
दिनाक 09.10.2024, थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-776/2024, धारा 74, 352, 131 बीएनएस, 9M/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- 01. काले उर्फ नसरुल्ला खान पुत्र रियासत खान निवासी पूरे शिवाबख्तावर थाना को0 नगर गोण्डा झझरी ब्लाक रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.10.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले एक महिला द्वारा थाना को0नगर में लिखित सूचना दी गयी कि विपक्षी द्वारा उनकी नाबालिग बेटी का जबरजस्ती हाथ पकड कर अपने गोदाम के अन्दर ले जाकर छेड़छाड करते हुए दुराचार करने की कोशिश किया। हल्ला करने पर आस पास के लोग आये तो विपक्षी गाली गुप्ता देने लगा। उक्त सूचना पर थाना को0नगर में मु0अ0सं0-776/2024, धारा 74, 352, 131 बीएनएस, 9M/10 पाक्सो एक्ट बनाम काले के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरोपी अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 09.10.2024 को को0नगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त 01. काले उर्फ नसरुल्ला खान पुत्र रियासत खान निवासी पूरे शिवाबख्तावर थाना को0 नगर गोण्डा झझरी ब्लाक रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. काले उर्फ नसरुल्ला खान पुत्र रियासत खान उम्र करीब 38 वर्ष निवासी पूरे शिवाबख्तावर थाना को0 नगर गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-776/2024, धारा 74, 352, 131 बीएनएस, 9M/10 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मनीष कुमार
02. का0 पंकज कुमार
03. का0 आनन्द कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.10.2024, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. दर्शन लाल पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम मजहनपुरवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को नवाबगंज गिर्द के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2024 को वादिनी द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम अभिषेक आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त 01. दर्शन लाल पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम मजहनपुरवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को आज दिनांक 09.10.2024 को नवाबगंज गिर्द के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. दर्शन लाल पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम मजहनपुरवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०राजीव कन्नौजिया
02. का0 रविकेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.10.2024, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-502/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. विजय कुमार अवस्थी पुत्र गंगाधर अवस्थी निवासी भदुआ तरहर थाना को0 देहात गोण्डा को पोर्टरगंज गोल्डन फेरी से कलन्दरपुर चौबे जाने वाले रास्ते से थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी एडवोकेट श्री दादूराम शुक्ला निवासी व पोस्ट पिपरा बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतावली नगर को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके उसकी जमीन को फर्जी बैनाम करा लिया है । तहरीर के आधार थाना को0नगर पर मु0अ0सं0-502/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि बनाम बृजेश कुमार अवस्थी आदि 07 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 09.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त . विजय कुमार अवस्थी पुत्र गंगाधर अवस्थी निवासी भदुआ तरहर थाना को0 देहात गोण्डा को पोर्टरगंज गोल्डन फेरी से कलन्दरपुर चौबे जाने वाले रास्ते से थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विजय कुमार अवस्थी पुत्र गंगाधर अवस्थी निवासी भदुआ तरहर थाना को0 देहात गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-503/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि थाना को0 नगर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 डिग्री प्रसाद गौतम
02. का0 पियूष गोस्वामी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.10.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट में आरोपी अभियुक्त को हुई 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अमित सिंह उर्फ आजाद सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी बिठौरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त अमित सिंह उर्फ आजाद सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी बिठौरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री राजबहादुर रामदेव यादव, लोक अभियोजक श्री उदय प्रताप वर्मा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार व कोर्ट मोर्हरिर का0हरेश कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट श्री राजबहादुर रामदेव यादव महोदय द्वारा अभियुक्त अमित सिंह उर्फ आजाद सिंह को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. अमित सिंह उर्फ आजाद सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी बिठौरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-631/2022, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 09.10.2024, मानिटरिंग सेल</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 12,000/- अर्थदण्ड की सजा-</u>

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत वादिनी द्वारा थाना धानेपुर को सूचना दी गई कि दिनाकं 09.10.2020 को उनकी पुत्री के ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 23/2014, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 28.02.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

<u>दोषसिद्धि का विवरण-</u>

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री रामदयाल महोदय द्वारा थाना धानेपुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री घनश्याम पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 चन्दा देवी व थाना धानेपुर के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 09.10.2024 को दोषी अभियुक्त – मो0ताहिर अंसारी पुत्र रियासत अली निवासी ग्राम बेचूपुरवा मौजा रामपुर दुबावल थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

01. मो0ताहिर अंसारी पुत्र रियासत अली निवासी ग्राम बेचूपुरवा मौजा रामपुर दुबावल थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>अभियोग का विवरण-</u>

01. मु0अ0सं0- 23/2014, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा.

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 09.10.2024, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-777/24, धारा 64, बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इश्तियाक अहमद पुत्र मुस्ताक निवासी बशीरनगर मेवतियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.10.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग पोती को विपक्षी द्वारा बुलाकर अन्दर ले गया तथा जबरजस्ती धमका कर दुराचार किया है। वादिनी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-777/2024, धारा 64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम इश्तियाक अहमद आदि 02 नफर अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 09.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त इश्तियाक अहमद पुत्र मुस्ताक निवासी बशीरनगर मेवतियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इश्तियाक अहमद पुत्र मुस्ताक निवासी बशीरनगर मेवतियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-777/2024, धारा 64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता
02. का0 वीरेन्द्र वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.10.2024, थाना कटराबाजार
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा नवरात्रि/दुर्गापूजा के दृष्टिगत कटराबाजार क्षेत्र में भ्रमणकर दुर्गा पूजा पांडालों का किया गया निरीक्षण, आयोजको से वार्ता कर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातवरण में सम्पन्न कराने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में नवरात्रि/दुर्गापूजा त्योहार को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा आयोजकों से वार्ता कर त्योहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया तथा सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाने की अपील की गई साथ ही बताया गया कि नवरात्रि/दुर्गापूजा त्योहार के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए है । समस्त कार्यक्रम स्थलों के आसपास तथा विसर्जन/जुलूसों के मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय कर दिया गया है। महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करवायी जा रही है। साथ ही साथ आवागमन के मार्गो, संवेदनशील स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा धार्मिक स्थलों के आस-पास पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है । सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी गयी तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.10.2024, थाना कटराबाजार
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा "नवरात्रि/दुर्गापूजा" त्यौहार के दृष्टिगत थाना कटराबाजार क्षेत्रान्तर्गत पी0ए0सी0/ पुलिस बल के साथ कस्बा, हॉट स्पॉट तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त/रुट मार्च कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में नवरात्रि/दुर्गापूजा त्योहार को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत पी0ए0सी0/पुलिस बल के साथ कस्बा तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त/रुट मार्च किया गया तथा आमजनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। भ्रमण के दौरान महोदय द्वारा व्यापारियों एवं राहगीरों से वार्ता कर कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया तथा उन्हें सुरक्षा के दृष्टिगत अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने व अराजक तत्वों व संदिग्ध गतिविधियों के दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को कहा गया साथ ही शान्ति व्यवस्था हेतु लगायी गयी ड्यूटियों को चेक करते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाये त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद रहे, ताकि जनपद में कोई भी अप्रिय घटना न हो पाये। महादेय द्वारा शहर क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखते हुये लगातार पेट्रोलिंग करने व दुर्गा पूजा पंडालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मॉल, ढाबा, भीड़-भाड़ मार्केट वाली जगहों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की गहनता से चेकिंग करने तथा भीड़ भाड़ वाले स्थान जहां महिलाओं की उपस्थिति अधिक हो वहां महिला पुलिस कर्मियों की निरंतर पेट्रोलिंग लगाने हेतु क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज एवं प्र0नि0 कटराबाजार को निर्देशित किया गया। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया कि भारी वाहन शहर या भीड़ भाड़ वाले इलाको मे प्रवेश न हो तथा भीड़भाड़ के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार डाईवर्जन की भी व्यवस्था की जाए।

पैदल गश्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह, प्र0नि0 कटराबाजार श्री संजय गुप्ता, पी0ए0सी0/पुलिस बल आदि मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।